

RBE No.71/2017



CPO's SL. No. 93/2017

No. E/9(D)/O/ECR/HJP

Dated:-20.07.2017

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपूर।
3. DRM/ पूमरे/ मुगलसराय, दानापूर, धनबाद, सोनपूर एवं समस्तीपूर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/ पू.म.रे/ हाजीपूर।
5. मुख्य कार्मिक अधिकारी/ प्रशासन/ पू.म.रे/ हाजीपूर।
6. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
7. CWM/ पीडी/ मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना/ समस्तीपूर/ हरनौत।
8. Sr.DPO/ पूमरे/ मुगलसराय, दानापूर, धनबाद, सोनपूर एवं समस्तीपूर।
9. उप महाप्रबंधक/ विधि/ पटना।
10. प्राचार्य/ क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/ मुजफ्फरपूर एवं भूली।
11. सभी मुकार्याधी/ कार्याधी/ पू.म.रे/ हाजीपूर।

**विषय:-** Decision of the Government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission relating to grant of House Rent Allowance (HRA) to Railway employees.


**संदर्भ:-** Rly. Board's Lt. no.E(P&A)II-2017/HRA-7 Dated.19.07.2017

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रोत्तर आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.

  
 (रवि कुमार पंडित)  
 सकाधि/ई.एस.एम एवं रूलिंग  
 कृते महाप्रबंधक/ कार्मिक/ हाजीपूर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित :-

1. महासचिव/ ईसीआरकेयू/ पू.म.रे/ हाजीपूर।
2. महासचिव/ एस0.सी0./ एस0.टी0./ एशोसिएशन/ पू.म.रे/ हाजीपूर।
3. सकाधि (एम.पी.पी.), पू.म.रे/ हाजीपूर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करे।
4. महासचिव/ ओ.बी.सी.एशोसिएशन/ पू.म.रे/ हाजीपूर।

08/11  
  
 20/7/17

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

S.No.PC-VII/24

RBE No. 71/2017.

No. E(P&A)II-2017/HRA-7

New Delhi, dated 19.07.2017.

**The General Managers/CAOs,  
All Indian Railways & Prod. Units etc.**

**Sub.:- Decision of the Government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission relating to grant of House Rent Allowance (HRA) to Railway employees.**

+++++

Consequent upon the decision taken by the Government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission relating to House Rent Allowance (HRA), the President is pleased to decide that, in modification of Railway Board's letter No. PC-65/HRA-1/3 dated 21.7.1965 as amended from time to time, letter No. E(P&A)II-2008/HRA-10 dated 12.09.2008 and letter No. E(P&A)II-2015/HRA-7 dated 24.09.2015, the admissibility of HRA shall be as under:-

Classification of Cities/Towns	Rate of House Rent Allowance per month as a percentage of Basic pay only
X	24%
Y	16%
Z	8%

- The rates of HRA will not be less than ₹ 5400/-, 3600/- and 1800/- at 'X', 'Y' & 'Z' class cities respectively.
- The rates of HRA will be revised to 27%, 18% and 9% for 'X', 'Y' and 'Z' class cities respectively when Dearness Allowance (DA) crosses 25% and further revised to 30%, 20% and 10% when DA crosses 50%.
- The term "basic pay" in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed pay levels in the Pay Matrix and does not include Non-Practising Allowance (NPA) etc. or any other type of pay like special pay, etc.
- In the case of running staff HRA will continue to be calculated on the basic pay plus 30% pay element till further orders.
- The list of cities classified as 'X', 'Y' and 'Z' issued vide Board's letter No. E(P&A)II-2015/HRA-7 dated 24.09.2015, for the purpose of grant of House Rent Allowance is enclosed as Annexure to these orders.
- Special orders on continuance of HRA at Delhi ('X' class city) rates to railway employees posted at Faridabad, Ghaziabad, NOIDA and Gurgaon, at Jalandhar ('Y' class city) rates to Jalandhar Cantt., at 'Y' class city rates to Shillong, Goa & Port Blair and HRA at par with Chandigarh ('Y' class city) to Panchkula which have been allowed to continue

Contd 2

vide Para '4' of this Ministry's letter No. E(P&A) II-2015/HRA-7 dated 24.09.2015 and S.A.S Nagar (Mohali) at par with Chandigarh ('Y' class city) vide Ministry's letter No. E(P&A)II-2015/HRA-7 dated 12.05.2017, shall continue till further orders.

8. All other conditions governing grant of HRA under existing orders shall continue to apply.
9. These order shall be effective from 1<sup>st</sup> July, 2017.
10. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.


DA: One (Two pages)

  
(Salim Md. Ahmed)  
Deputy Director/E(P&A)II,  
Railway Board.

No. E(P&A)II-2017/HRA-7

New Delhi, dated 19.07.2017.

Copy (with 40 spares) forwarded to the Deputy Comptroller & Auditor General of India, Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi.

  
For Financial Commissioner/Railways.

No. E(P&A)II-2017/HRA-7

New Delhi, dated 19.07.2017.

**Copy to :-**

- (1) The PFAs, All Indian Railways & Production Units etc.
- (2) The Chief Commissioner of Railway Safety, 16, Ashok Road, Lucknow.
- (3) Director General RDSO Lucknow.
- (4) The Director (a) IRIEEN, Nasik, (b) IRICEN, Pune, (c) IRIMEE, Jamalpur, (d) IRISER, Secunderabad.
- (5) The Principal, Railway Staff College, Vadodara.
- (6) The Chairman RCC Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
- (7) The Chairman RRT, Chennai.
- (8) The Chairman RCT, Delhi.
- (9) The Chairman RRB/Ajmer, Ahmedabad, Allahabad, Bilaspur, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Kolkata, Jammu, Gorakhpur, Guwahati, Malda, Mumbai, Muzaffarpur, Patna, Ranchi, Secunderabad and Trivandrum.
- (10) The General Manager CORE, Allahabad.
- (11) The Editor, 'Bhartiya Rail' Room No.469, Rail Bhawan, New Delhi.
- (12) The Editor, 'Indian Railways' Room No. 411, Rail Bhawan, New Delhi.
- (13) The Editor, 'Rail Rajbhasha', Room No.543, Rail Bhawan, New Delhi.
- (14) The Chairman, Passenger Services Committee, 218, Rail Bhawan, New Delhi.
- (15) The C.A.O.(R) COFMOW, Tilak Bridge, New Delhi.
- (16) The Director, CAMTECH/Gwalior.
- (17) The C.A.Os,(a) MTP(R) Mumbai, (b) MTP(R) Chennai.

**ANNEXURE**

To Board's letter no. E(P&amp;A)II-2017/HRA-7 dt. 19.07.2017

**LIST OF CITIES/TOWNS CLASSIFIED FOR GRANT OF  
HOUSE RENT ALLOWANCE TO RAILWAY EMPLOYEES**

Sl. No.	STATES/UNION TERRITORIES	CITIES CLASSIFIED AS "X"	CITIES CLASSIFIED AS "Y"
1.	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	----	----
2.	ANDHRA PRADESH / TELANGANA	Hyderabad (UA)	Vijayawada (UA), Warangal (UA), Greater Visakhapatnam (M.Corp.), Guntur (UA), Nellore (UA).
3.	ARUNACHAL PRADESH	----	----
4.	ASSAM	----	Guwahati (UA).
5.	BIHAR	----	Patna (UA).
6.	CHANDIGARH	----	Chandigarh (UA).
7.	CHHATTISGARH	----	Durg-Bhilai Nagar (UA), Raipur (UA)
8.	DADRA & NAGAR HAVELI	----	----
9.	DAMAN & DIU	----	----
10.	DELHI	Delhi (UA)	----
11.	GOA	----	----
12.	GUJARAT	Ahmadabad (UA)	Rajkot (UA), Jamnagar (UA), Bhavnagar (UA), Vadodara (UA), Surat (UA).
13.	HARYANA	----	Faridabad* (M. Corp.), Gurgaon* (UA).
14.	HIMACHAL PRADESH	----	----
15.	JAMMU & KASHMIR	----	Srinagar (UA), Jammu (UA).
16.	JHARKHAND	----	Jamshedpur (UA), Dhanbad (UA), Ranchi (UA), Bokaro Steel City (UA).
17.	KARNATAKA	Bangalore/Bengaluru (UA)	Belgaum (UA), Hubli-Dharwad (M.Corp.), Mangalore (UA), Mysore (UA), Gulbarga (UA).
18.	KERALA	----	Kozhikode (UA), Kochi (UA), Thiruvananthapuram (UA), Thrissur (UA), Malappuram (UA), Kannur (UA), Kollam (UA).
19.	LAKSHADWEEP	----	----
20.	MADHYA PRADESH	----	Gwalior (UA), Indore(UA), Bhopal (UA), Jabalpur (UA), Ujjain (M. Corp).
21.	MAHARASHTRA	Greater Mumbai (UA), Pune (UA).	Amravati (M.Corp.), Nagpur (UA), Aurangabad (UA), Nashik (UA), Bhiwandi (UA), Solapur (M. Corp.), Kolhapur (UA), Vasai-Virar City (M.Corp.), Malegaon (UA), Nanded-Waghala (M. Corp.), Sangli (UA).

Sl. No.	STATES/UNION TERRITORIES	CITIES CLASSIFIED AS "X"	CITIES CLASSIFIED AS "Y"
22.	MANIPUR	----	----
23.	MEGHALAYA	----	----
24.	MIZORAM	----	----
25.	NAGALAND	----	----
26.	ODISHA	----	Cuttack (UA), Bhubaneswar (UA), Raurkela (UA).
27.	PUDUCHERRY (PONDICHERRY)	----	Puducherry/Pondicherry (UA).
28.	PUNJAB	----	Amritsar (UA), Jalandhar (UA), Ludhiana (M.Corpn).
29.	RAJASTHAN	----	Bikaner (M. Corpn.), Jaipur (M. Corpn.), Jodhpur (UA), Kota (M.Corpn.), Ajmer (UA).
30.	SIKKIM	----	----
31.	TAMIL NADU	Chennai (UA)	Salem (UA), Tiruppur (UA), Coimbatore (UA), Tiruchirappalli (UA), Madurai (UA), Erode (UA).
32.	TRIPURA	----	----
33.	UTTAR PRADESH	----	Moradabad (M. Corpn.), Meerut (UA), Ghaziabad*(UA), Aligarh (UA), Agra (UA), Bareilly (UA), Lucknow (UA), Kanpur (UA), Allahabad (UA), Gorakhpur (UA), Varanasi (UA), Saharanpur (M. Corpn.), Noida* (CT), Firozabad (NPP), Jhansi (UA).
34.	UTTARAKHAND	----	Dehradun (UA).
35.	WEST BENGAL	Kolkata (UA)	Asansol (UA), Siliguri (UA), Durgapur(UA).

\*Only for the purpose of extending HRA on the basis of dependency.

**NOTE**

The remaining cities/towns in various States/UTs which are not covered by classification as "X" or "Y", are classified as "Z" for the purpose of HRA.

\*\*\*\*

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS  
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

क्र.सं.पीसी-VII/24

आरबीई नं. 71/2017

सं. ई(पीएंडए)II-2017/एचआरए-7

नई दिल्ली, दिनांक 19.07.2017

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,  
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयाँ आदि.

विषय:- रेलवे कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता (एचआरए) के संबंध में सातवें केंद्रीय  
वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय।

+++++

मकान किराया भत्ता (एचआरए) के संबंध में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति सहर्ष यह निर्णय लेते हैं कि, समय-समय पर यथा संशोधित रेलवे बोर्ड के दिनांक 21.7.1965 के पत्र सं. पीसी-65/एचआरए-1/3, दिनांक 12.09.2008 के पत्र सं. ई(पीएंडए) II-2008/एचआरए-10 और दिनांक 24.09.2015 के पत्र सं.ई(पीएंडए) II-2015/एचआरए-7, में संशोधन करते हुए मकान किराया भत्ता निम्नानुसार प्रदान किया जाएगा:

नगर/कस्बों का वर्गीकरण	प्रति माह मकान किराया भत्ते की दर, केवल मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में
एक्स	24%
वाई	16%
जेड	8%

2. 'एक्स', 'वाई' एवं 'जेड' श्रेणी के शहरों में मकान किराया भत्ते की दर क्रमशः 5400/- रुपए, 3600/- रुपए और 1800/- रुपए से कम नहीं होगी।
3. जब महंगाई भत्ता 25% पार कर जाएगा, तो 'एक्स', 'वाई' एवं 'जेड' श्रेणी के शहरों के लिए मकान किराया भत्ते की दर संशोधित कर क्रमशः 27%, 18% एवं 9% कर दी जाएगी और जब महंगाई भत्ता 50% के पार हो जाएगा तब इसे पुनः संशोधित कर 30%, 20% एवं 10% कर दिया जाएगा।
4. संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द का अर्थ पे मैट्रिक्स में निर्धारित वेतन स्तर में लिया जाने वाले वेतन से है जिसमें प्रैक्टिसबन्दी भत्ता (एनपीए) आदि अथवा विशेष वेतन जैसे किसी अन्य प्रकार के वेतन, आदि शामिल नहीं हैं।
5. रनिंग स्टाफ के संबंध में अगले आदेशों तक मकान किराया भत्ते की गणना मूल वेतन जमा 30% पे एलिमेंट पर की जाती रहेगी।
6. मकान किराया भत्ता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड के दिनांक 24.09.2015 के पत्र सं.ई(पीएंडए)II-2015/एचआरए-7 के तहत जारी 'एक्स', 'वाई', 'जेड' के सभी वर्गीकृत नगरों की सूची इस आदेश के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।
7. फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, नोएडा तथा गुडगांव में तैनात रेलवे कर्मचारियों को दिल्ली ('एक्स' श्रेणी नगर) की दर पर, जालंधर कैंट में तैनात कर्मचारियों को जालंधर ('वाई' श्रेणी नगर) की दर पर, शिलांग, गोवा एवं पोर्ट ब्लेयर में तैनात कर्मचारियों को 'वाई' श्रेणी की दर पर और पंचकुला जहां तैनात

कर्मचारियों को इस मंत्रालय के दिनांक 24.09.2015 के पत्र सं. ई(पीएंडए) II-2015/एचआरए-7 के पैरा '4' के तहत चंडीगढ़ ('वाई' श्रेणी नगर) के बराबर मकान किराया भत्ता देने की अनुमति प्रदान की गई है तथा एस.ए.एस नगर (मोहाली) में इस मंत्रालय के दिनांक 12.05.2017 के पत्र सं. ई(पीएंडए) II-2015/एचआरए-7 के तहत चंडीगढ़ ('वाई' श्रेणी नगर) के बराबर मकान किराया भत्ता जारी रखने के विशेष आदेश, अगले आदेशों तक जारी रहेंगे।

8. वर्तमान आदेशों के तहत मकान किराया भत्ता प्रदान करने से संबंधित सभी अन्य शर्तें लागू रहेंगी।

9. ये आदेश 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होंगे।

10. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

प्रतिलिपि: एक (दो पृष्ठ)

प्रो. सलीम अहमद  
(सलीम मो. अहमद)  
उप निदेशक/ई(पीएंडए) II,  
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पीएंडए)II-2017/एचआरए-7

नई दिल्ली, दिनांक 19.07.2017

प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित) भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कमरा नं.222, रेल भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित।

सं. ई(पीएंडए)II-2017/एचआरए-7

कृते वित्त आयुक्त/रेलें  
नई दिल्ली, दिनांक 19.07.2017

प्रतिलिपि प्रेषित :-

- (1) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयाँ आदि।
- (2) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16, अशोक रोड, लखनऊ
- (3) महानिदेशक अ.अ.मा.सं., लखनऊ
- (4) निदेशक (क) इरीन, नासिक (ख) इरिसेन, पुणे (ग) इरिमी, जमालपुर (घ) इरिसेट, सिकन्दराबाद
- (5) प्रिंसिपल, रेलवे स्टाफ कॉलेज (वडोदरा)।
- (6) अध्यक्ष, आरसीसी, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली।
- (7) अध्यक्ष, आरआरटी, चेन्नै।
- (8) अध्यक्ष, आरसीटी, दिल्ली।
- (9) अध्यक्ष, आरआरबी/अजमेर, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बिलासपुर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोलकाता, जम्मू, गोरखपुर, गुवाहाटी, मालदा, मुम्बई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकन्दराबाद और त्रिवेंद्रम।
- (10) महाप्रबंधक, कोर, इलाहाबाद।
- (11) संपादक, 'भारतीय रेल, कमरा नं. 469, रेल भवन, नई दिल्ली।
- (12) संपादक, 'इंडियन रेलवेज' कमरा नं. 411, रेल भवन, नई दिल्ली।
- (13) संपादक, 'रेल राजभाषा' कमरा नं. 543, रेल भवन, नई दिल्ली।
- (14) अध्यक्ष, यात्री सेवा समिति, 218, रेल भवन, नई दिल्ली।
- (15) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर) कॉफमो, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली।

रेल कर्मचारियों को आवास किराया भत्ता प्रदान करने के लिए वर्गीकृत नगरों/शहरों की सूची

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	"X" के रूप में वर्गीकृत नगर	"Y" के रूप में वर्गीकृत नगर
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप	.....	.....
2.	आंध्र प्रदेश/तेलंगाना	हैदराबाद (यूए)	विजयवाड़ा (यूए), वारंगल (यूए), ग्रेटर विशाखापटनम (एम. कापरिशन), गुंटूर (यूए), नेल्लोर (यूए)
3.	अरुणाचल प्रदेश	.....	.....
4.	असम	.....	गुवाहाटी (यूए)
5.	बिहार	.....	पटना (यूए)
6.	चण्डीगढ़	.....	चण्डीगढ़ (यूए)
7.	छत्तीसगढ़	.....	दुर्ग-भिलाई नगर (यूए), रायपुर (यूए)
8.	दादर एवं नगर हवेली	.....	.....
9.	दमन एवं दीव	.....	.....
10.	दिल्ली	दिल्ली (यूए)	.....
11.	गोवा	.....	.....
12.	गुजरात	अहमदाबाद (यूए)	राजकोट (यूए), जामनगर (यूए), भावनगर (यूए), वडोदरा (यूए), सूरत (यूए)
13.	हरियाणा	.....	फरीदाबाद* (एम कापरिशन), गुडगांव* (यूए)
14.	हिमाचल प्रदेश	.....	.....
15.	जम्मू एवं काश्मीर	.....	श्रीनगर (यूए), जम्मू (यूए)
16.	झारखण्ड	.....	जमशेदपुर (यूए), धनबाद (यूए), रांची (यूए), बोकारो स्टील सिटी (यूए)
17.	कर्नाटक	बैंगलोर/बैंगलुरु (यूए)	बेलगाम (यूए), हुबली-धारवाड (एम. कापरिशन), मंगलोर (यूए), मैसूर (यूए), गुलबर्गा (यूए)
18.	केरल	.....	कोझीकोड (यूए), कोची (यूए), तिरुवनंतपुरम (यूए), त्रिशूर (यूए), मालापुरम (यूए), कन्नूर (यूए), कोल्लम (यूए)
19.	लक्षदीप	.....	.....
20.	मध्य प्रदेश	.....	ग्वालियर (यूए), इंदौर (यूए), भोपाल (यूए), जबलपुर (यूए), उज्जैन (एम. कापरिशन)



21.	महाराष्ट्र	गेटर मुंबई(यूए). पुणे (यूए)	अमरावती (एम. कापरिशन), नागपुर (यूए). औरंगाबाद (यूए), नासिक (यूए), भिवंडी (यूए). सोलापुर (एम. कापरिशन), कोल्हापुर (यूए). वसई- विरार सिटी (एम. कापरिशन), मालेगांव (यूए). नांदेड-वाघला (एम. कापरिशन), सांगली (यूए)
22.	मणिपुर	.....	.....
23.	मेघालय	.....	.....
24.	मिजोरम	.....	.....
25.	नागालैंड	.....	.....
26.	ओडिसा	.....	कटक (यूए), भुवनेश्वर (यूए), राउरकेला (यूए)
27.	पुडुचेरी (पांडिचेरी)	.....	पुडुचेरी/पांडीचेरी (यूए)
28.	पंजाब	.....	अमृतसर (यूए), जालंधर (यूए), लुधियाना (एम. कापरिशन)
29.	राजस्थान	.....	बीकानेर (एम. कापरिशन), जयपुर (एम. कापरिशन), जोधपुर (यूए), कोटा (एम. कापरिशन), अजमेर (यूए).
30.	सिक्किम	.....	.....
31.	तमिलनाडु	चेन्नै (यूए)	सेलम (यूए), तिरुपुर (यूए), कोयम्बटूर (यूए). तिरुचिरापल्ली (यूए), मदुरै (यूए), इरोड (यूए)
32.	त्रिपुरा	.....	.....
33.	उत्तर प्रदेश	.....	मुरादाबाद (एम. कापरिशन), मेरठ (यूए). गाजियाबाद* (यूए), अलीगढ़ (यूए), आगरा (यूए). बरेली (यूए), लखनऊ (यूए), कानपुर (यूए). इलाहाबाद (यूए), गोरखपुर (यूए), वाराणसी (यूए). सहारनपुर (एम. कापरिशन), नोएडा* (सी.टी). फिरोजाबाद (एनपीपी), झांसी (यूए)
34.	उत्तराखण्ड	.....	देहरादून (यूए)
35.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (यूए)	आसनसोल (यूए), सिलीगुड़ी (यूए), दुर्गापुर (यूए)

\*केवल आश्रितता के आधार पर आवास किराया भत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से।

**नोट:** विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेश के वे शेष नगर/शहर जिन्हें "X" या "Y" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें आवास किराया भत्ता प्रयोजन के लिए "Z" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

\*\*\*\*\*